होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय मध्यप्रदेश

परिपत्र–25

क्रमांक पॉच–17/1293/प्रशि0(2)बी/2018, कैम्प –भोपाल, दिनॉक 27 अगस्त, 2018

मध्यप्रदेश नगर सेना अधिनियम, व नियम–1947 के अन्तर्गत भर्ती किये गये स्वयंसेवी होमगार्ड को बेसिक प्रशिक्षण के पश्चात 03 वर्ष के लिए जिले की नगर सेना संचिति का सदस्य नामांकित किया जाता है। उक्त 03 वर्ष की अवधि के दौरान नियम–09 (1), (2) एवं (3) के अन्तर्गत समय–समय पर आव्हान (CALL OUT) व्यवस्था के अन्तर्गत बुलाकर विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निष्पादन हेतु उसकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इस अवधि में उसकी सेवाओं का आव्हान के प्रावधान के अन्तर्गत उपयोग किया जाता है। इसके लिए उसे शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदेय एवं भोजन भत्ते का भुगतान किया जाता है। इस 03 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने के उपरान्त उसे उसकी इच्छा तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर पुनः नामांकन के लिए एक समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिसके लिए विस्तृत निर्देश होमगार्ड मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक/पॉच–17/1391/स्था(6) उपखण्ड (3)/बी/2003 जबलपुर, दिनांक 20–02–2003 द्वारा जारी किये गये है।

2– संचिति के सदस्य रहने की अवधि (03 वर्ष) के दौरान यदि उसके द्वारा कोई अनुशासनहीन कृत्य जिनका वर्णन नियम 12 के अन्तर्गत दिया गया है, कारित किया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रक्रिया होमगार्ड मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक/ पॉच–17 /1391/स्था(6) उपखण्ड (3)/बी/2003 जबलपुर, दिनांक 20 फरवरी, 2003 सहपठित परिपत्र क्रमांक–पॉच–17/3049/प्रशि(2)/बी/2008, दिनांक 08 मई, 2008 में दी गई है।

3– पिछले कुछ समय से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर जिन स्वयंसेवी नगर सैनिको को संचिति से विमुक्त किया गया है, उनकी याचिका में पारित आदेशो में यह रेखांकित किया है कि याचिकाकर्ता को उसके विरूद्ध आपेक्षित कदाचरण के लिए दण्डित करने से पूर्व (संचिति से विमुक्त करने से पूर्व) उसे नैसर्गिक न्याय के सिंद्धान्तों के अनुरूप अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया गया, इसलिए कई प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा होमगार्ड मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 20–02–2003/08–05–2008 के अन्तर्गत दी गई प्रक्रिया के अनुसार संचिति से विमुक्त करने के आदेश को अपास्त कर दिया गया है।

4– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संचिति से विमुक्त करने के आदेशों में रेखांकित की गई त्रुटि के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकरणों में सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही कार्यवाही करने के निर्देश होमगार्ड मुख्यालय द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिये है।

5– इस विषयवस्तु का परीक्षण करने से यह पाया जाता है कि मध्यप्रदेश नगर सेना नियम–1947 के नियम–12 में अनुशासनहीनता के आधार पर संचिति से विमुक्त करने की प्रक्रिया दी गई है। इसमें अपचारी को सुनवाई का मौका देकर ही गुण–दोष के आधार पर यथोचित कार्यवाही करने का प्रावधान है। इसी प्रकार नियम–13 में यह प्रावधान किया गया है कि नियम–12 के अन्तर्गत दण्डित स्वयंसेवी होमगार्ड 30 दिवस के भीतर अपील/अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु यह देखा गया है कि नियम–13 में दिये गये इस प्रावधान के अनुसार दण्डित स्वयंसेवी नगर सैनिक अपील अभ्यावेदन निर्धारित 30 दिवस की समय–सीमा में प्रस्तुत करने के स्थान पर माननीय न्यायालय में राहत हेतु याचिका दायर करते है। हालाकि उनका यह आचरण इस दृष्टि से अनुचित होता है कि उन्होने माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के पूर्व विभागीय सामाधान की व्यवस्था का उपयोग नही किया, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करना चूकि उनके वैधानिक अधिकार में आता है, इसलिए उनकी इस कार्यवाही पर कोई आपत्ति

–2–